

शेल कंपनियों से संबद्ध मुद्दे

चर्चा में क्यों?

ऑपरेशन क्लीन मनी (Operation Clean Money) के तहत केंद्र सरकार द्वारा तकरीबन दो लाख से अधिक शेल कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। केंद्र के अलावा सेबी (Securities and Exchange Board of India -SEBI) द्वारा भी 331 शेल कंपनियों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। बार-बार चर्चा में आने वाली ये शेल कंपनियाँ क्या होती हैं? अथवा ये किस प्रकार अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं तथा इनके संबंध में किस प्रकार कार्रवाई की जा सकती है? आदि इन सभी मुद्दों के संबंध में आज हम इस लेख में चर्चा करेंगे।

शेल कंपनियाँ क्या होती हैं?

- कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यह परिभाषित नहीं किया गया है कि एक 'शेल कंपनी' क्या होती है? अथवा किस प्रकार की गतिविधियों के कारण किसी कंपनी को शेल कंपनी कहा जाना चाहिये।
- आमतौर पर शेल कंपनियाँ ऐसी कॉर्पोरेट संस्थाएँ होती हैं, जिनके पास उनका अपना न तो कोई सक्रिय व्यवसाय ही होता है और न ही उनके पास कोई महत्वपूर्ण संपत्ति ही होती है।
- यही कारण है कि इस प्रकार की कंपनियाँ सदैव संदेह के दायरे में रहती हैं, क्योंकि इनमें से कुछ कंपनियों का या तो मनी लॉन्डरिंग अथवा कर चोरी एवं अन्य अवैध गतिविधियों के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है।

क्या शेल कंपनियों के संबंध में कोई कानून है?

- वर्तमान में भारत में शेल कंपनियों से संबंधित कोई विशिष्ट कानून मौजूद नहीं है। हालाँकि, कुछ ऐसे कानून अवश्य मौजूद हैं जिनके तहत मनी लॉन्डरिंग जैसी अवैध गतिविधियों को रोकने में कुछ हद तक मदद मिलती है।

→ उदाहरण के तौर पर - बेनामी लेन-देन (नषिध) संशोधन अधिनियम [Benami Transaction (Prohibition) Amendment Act] 2016

→ धन शोधन निवारण अधिनियम (The Prevention of Money Laundering Act) 2002

→ कंपनी अधिनियम, (The Companies Act 2013) की रोकथाम।

- इन सभी कानूनों का इस्तेमाल अप्रत्यक्ष रूप से शेल कंपनियों को लक्षित करने के लिये किया जा सकता है।

क्या रिकॉर्ड्स के आधार पर किसी शेल कंपनी को बंद करना आसान है?

किसी भी कंपनी को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा दो माध्यमों से हटाया जा सकता है:

→ आर.ओ.सी. strike off by Registrar of Companies (RoC) – [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (1)]।

→ स्वैच्छिक हड़ताल बंद – [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2)]।

- इसके अलावा बोर्ड और शेयरधारकों के अनुमोदन से कंपनियों को स्वैच्छिक रूप से भी बंद किया जा सकता है, परंतु इसमें शर्त यह है कि ऐसी स्थिति में कंपनी के पास शून्य देनदारियाँ होनी चाहिये।

कनि परदृश्यों के कारण आर.ओ.सी. के तहत किसी कंपनी को कंपनी अधिनियम की सूची से हटाया अथवा बंद किया जा सकता है?

यदि कोई कंपनी एक साल के नगिमन के भीतर कारोबार शुरू करने में नाकाम रहती है तो उसके नाम को कंपनी अधिनियम से हटाया जा सकता है।

- साथ ही, ऐसी कंपनियाँ जिन्होंने लगातार दो वित्तीय वर्षों तक किसी भी व्यवसाय या आर्थिक गतिविधि में भाग नहीं लिया है तथा कंपनी अधिनियम की धारा 455 के तहत 'निष्क्रिय कंपनी' (dormant company) की स्थिति प्राप्त करने के लिये इस अवधि के भीतर कोई आवेदन भी नहीं किया है।
- ऐसी स्थिति में आर.ओ.सी. द्वारा ऐसी कंपनियों और उनके नदिशकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।
- नदिशकों द्वारा इस नोटिस के संबंध में 30 दिनों के भीतर अपनी प्रतिक्रिया देनी होती है। यदि यह प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं होती है, तो उक्त कंपनी के नाम को कंपनी अधिनियम के रजिस्ट्रार से हटा दिया जाता है।

एक नष्टिकरयि कंरुनी क्यल हलती है?

कंरुनी अधनियिड, 2013 की धरल 455 के अनुसर, ऐसी कंरुनी जसिडें कोरुई डहतुतुवडूरुण वतुतुीय गतविधिनिही हल रहीं है अथवल वह नष्टिकरयि हल चुकी है, वह आर.ओ.सी. के लयि आवेदन कर सकती है तथल नष्टिकरयि कंरुनी की सुथतुतुि को डुरलडत कर सकती है ।

कसिी नष्टिकरयि कंरुनी और शेल कंरुनी के डीच क्यल अंतर हलतल है?

- कसिी कंरुनी को नष्टिकरयि कंरुनी कल दरुऑल केवल दु तरीकों से ही डलल सकतल है- डहलल, यद इसे एक आवेदन के डलधुडड से आर.ओ.सी. से 'नष्टिकरयि' सुथतुतुि डुरलडत करने के लयि चुनल गल हल और दुसरल, यह धरल 455 डें वरुणतुतुि सडुी आवशुडकतलओं को डुरल करती हल ।
- इसके अलवल, अगर कसिी कंरुनी दुवलरल दु वतुतुीय वरुषों के लयि अपना वतुतुीय वविरण यल वलरुषकल रटुिरन दलखलल नही कयल गल है, तल आर.ओ.सी. दुवलरल उकुत कंरुनी को नलटसल जरुी कयल जलएगल तथल कंरुनी को 'नष्टिकरयि' कंरुनी की सुुुी डें डलल दयल जलएगल ।
- डरंतु, एक शेल कंरुनी वह हलती है जसल आम तलर डर उसकी गैरकलनुनी गतविधियुी के चलते संदेह के दलरुे डें ललल जलतल है ।

ऊडर वरुणतुतुि 2 ललख कंरुनयुी दुवलरल कसल डुरकलर के डरणलडुुु कल सलडनल कयल जलएगल?

इन कंरुनयुी को अपनी संडंधतुतुि डरसुथतुतुियुी के संडंध डें रलषुदुरीय कंरुनी कलनुन दुरडुियुनल (National Company Law Tribunal - NCLT) के सडकुष अपना डकुष ररखते हुए सडसे डहले एक आवेदन करनल हलगल । ततुडशुचलतु एन.सी.एल.टी. दुवलरल केस-दु-केस अधलर डर इन आवेदनुुु के संडंध डें डैसलल लयल जलएगल ।

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/decoding-shell-companies>

